

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 951 सन 2021

अनवान :-

1. गोमन्दराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
5. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
6. रजिराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
7. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
8. मांगेराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
9. सावित्री पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
10. निर्मला पत्नी मांगेराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
11. परमेश्वरी पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
12. बसकरों पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
13. मन्जु पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
14. शारदा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
15. सरोज पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 145/145 की कुल 5.0840 हैक खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560 हैक, खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440 हैक, खाता संख्या 744/686 की कुल 3.7940 हैक खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440 हैक खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880 हैक खाता संख्या 25/21 की कुल 1.3520 हैक खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 वादी की बहने है एवं मृतक शंकरलाल, साहबराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 2, 8, 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सयुक्त खाते में दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें से साहबराम का देहान्त हो चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जो सयुक्त खाते में दर्ज है एवं साहबराम के हक हिस्सा की भूमि विरास्तन से उसके वारिसान के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 145/145 की कुल 5.0840 हैक् खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560 हैक्, खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440 हैक्, खाता संख्या 744/686 की कुल 3.7940 हैक् खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440 हैक् खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880 हैक् खाता संख्या 25/21 की कुल 1.3520 हैक् खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण एवं साहबराम के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 एवं साहबराम के नाम से दर्ज है साहबराम का देहान्त हो चुका है साहबराम के नाम दर्ज भूमि में उसके वारिसान का हक हिस्सा है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 11 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 145/145 की कुल 5.0840हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 1.3989हैक भूमि बहिब के खातेदार काशतकार रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 5 रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440हैक में से 29720हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक मेंसे 3.2576हैक एवं खाता संख्या 25/21 की कुल 1.3520 हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 3.9022हैक भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 5.6486हैक में से 3.7521हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 711/686 की कुल 3.7940हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एव खाता संख्या 7125/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 3.7521हैक भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 9, 10 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 8, 9 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440हैक में से 2.9720हैक एवं खाता संख्या 456 की कुल 19.9560हैक में से 5.2542हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...सोनडी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गोमन्दराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
5. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
6. रजिराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
7. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
8. मांगेराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
9. सावित्री पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
10. निर्मला पत्नी मांगेराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
11. परमेश्वरी पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
12. बसकरों पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
13. मन्जु पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
14. शारदा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
15. सरोज पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक- 14.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 145/145 की कुल 5.0840हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 1.3989हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी।प्रतिवादी संख्या 5 रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440हैक में से 2.9720हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक मेंसे 3.2576हैक एवं खाता संख्या 25/21 की कुल 1.3520 हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 3.9022हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 5.6486हैक में से 3.7521हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 711/686 की कुल 3.7940हैक एवं खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एव खाता संख्या 7125/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक एवं खाता संख्या 456/446 की कुल 19.9560हैक में से 3.7521हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 713/269 की कुल 16.2880हैक में से 3.2576हैक एवं खाता संख्या 712/684 की कुल 8.1440हैक में से 2.0360हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 555/533 की कुल 5.9440हैक में से 2.9720हैक एवं खाता संख्या 456 की कुल 19.9560हैक में से 5.2542हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...सोनडी